सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 438 राँची, गुरुवार, 18 सितम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-88/2019 का.-32638 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 120/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बडकागाँव, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन के दौरान उनके विरूद्ध घर में कार्य करने वाली लड़की के साथ मारपीट करने, उसे आयरन से जलाने आदि से संबंधित आरोप, जैसा कि विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. श्री राकेश कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री राकेश कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री राकेश कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री राकेश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्त्ता, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 120/20) एवं श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAKESH KUMAR JHK/JAS/122	श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 120/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बडकागाँव, हजारीबाग गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 438 - 50